विभाग का नाम :– कार्यालय आयुक्त उद्योग
विभाग का पता:– कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र पटपड़गंज, दिल्ली–110092

तारांकित प्रश्न संख्या : 47
दिनांक : 21/03/2018
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री पंकज पुष्कर

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

प्रश्न सं.	प्रश्न	उत्तर
(क)	दिल्ली सरकार द्वारा ई–बिज–पोर्टल के साथ समेकित करने हेतु अभी तक स्वीकृत की गई सेवाओं का विवरण क्या है ,	(क) ई–बिज–पोर्टल, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा शुरुआत किया गया है। दिल्ली सरकार ने भी ई–बिज–पोर्टल के साथ सेवाएं समेकित करने हेतु सहमति प्रदान की है। वर्तमान में दिल्ली सरकार ने ई–बिज–पोर्टल के साथ समेकित करने हेतु निम्न 08 सेवाएँ स्वीकृत की हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है : 1.कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत योजना का अनुमोदन 2. कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री लाइसेंस 3. दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 के तहत पंजीकरण 4.बॉयलर्स अधिनियम–1923 के अंतर्गत पंजीकरण 5. जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत काम करने के लिये सहमति 6 जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के तहत स्थापित करने के लिये सहमति

(ग)	अभी तक स्वीकृत कितनी सेवाएं ई–बिज–पोर्टल के साथ समेकित की गई है उनकी सर्विस उपलब्धता की तिथि और ई–बिज–पोर्टल पर कितने लोग उन सेवाओं को प्राप्त कर रहे हैं,	1) दिल्ली फैक्ट्री नियम 1950 के प्रावधान के तहत फैक्ट्री रिटर्न दाखिल करना। 2) नये बिजली कनेक्शन के लिये आवेदन। यह सेवाएं 01 अक्टूबर 2015 से ई–बिज पोर्टल के साथ समेकित है। ई–बिज–पोर्टल पर सेवाएं प्राप्त कर रहे व्यक्तियों के बारे में उद्योग विभाग, दिल्ली सरकार के पास कोई औपचारिक सूचना नहीं है ।
(घ)	कितनी स्वीकृत सेवाओं को अभी तक समेकित नहीं किया गया है, और	(घ) कुल 6 स्वीकृत सेवाओं को अभी तक समेकित नहीं किया गया है। इन स्वीकृत सेवाओं को समेकित करने का कार्य भारत सरकार के विचाराधीन है ।
(ङ)	प्रत्येक सेवा की अप्रूवल की तिथि से प्रत्येक सेवा के कियान्वयन में शामिल कार्यालयों के विवरण सहित इस दिशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?	(ङ) दिल्ली सरकार के तीन विभाग कमशः श्रम विभाग, डी.पी.सी.सी. तथा बी.एस.ई.एस.यमुना पावर लिमिटेड की सेवाएँ स्वीकृत की गई है। इनमें से श्रम विभाग और डी.पी.सी.सी. की सेवाओं को ई–बिज–पोर्टल के साथ समेकित करने के कियान्वयन का कार्य भारत सरकार देख रही है। निदेशक (आई.एस.एच.), श्रम विभाग ने पत्र संख्या एफ 27 (16)/सी.आई.एफ/लेब/ 2017/3472 दिनांक 13.10.2017 के द्वारा निदेशक, ई–बिज, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को पत्र लिखकर कुछ परिवर्तन के सुझाव दिये जोकि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार एवं उनके अनुबन्धित एजेन्सी इन्फोसिस के द्वारा किया जाना है। लेकिन औद्योगिक नीति [illegible]